


न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - 01/2019 973 शीर्षक रोडी गार्ड बनाम मैदलाल

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/सूचना न.
	हे। जि. वादी ने प्रति. व्य. 7 के पी. व समन पेश करने हेतु अपव्यय चाला, जिंमिय अपव्यय दिया जाता है।	
	पक्षा. वास्ते तामील प्रति. व्य. 4 एवं जवाब प्रति. व्य. 5 व 6 हेतु दि. 28.10.24 को पेश हो।	
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
	28-10-24	
	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अपस्थिति पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27-1-25 को पेश हो।	
	27-1-25	
	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अपस्थिति पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21-4-25 को पेश हो।	
	03.02.25 यह पत्रावली अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रक पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जाब दी पेश करने पर दिनांक से तलब धोकर पेश हुई। अधिवक्ता वादीया इफ्त आदेश रोडीगार्ड इफ्त अधिवक्ता वादीया से प्रक पत्र पेश कर कथन किया कि पत्रावली के पद्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वादीया उक्त अस्त वाद को आगे नहीं चलाया चाहती है। उक्त प्रक फा स्वीकार का वाद विद्वी के आदेश स्वस्थित माना जाये।	<p>म.</p>  <p>रोडीगार्ड</p> <p>24 my up</p> <p>24/02/25</p>

